



भारत सरकार

रेल मंत्रालय

रेलवे भर्ती बोर्ड:: सिकंदराबाद



सीईएन : 04/2024 (पैरा मेडिकल)

सीईएन 04/2024 के तहत पैरा मेडिकल के विभिन्न पदों हेतु अतिरिक्त दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों का शॉर्ट लिस्टिंग

सीईएन 04/2024 के तहत दिनांक 28.04.2025 से 30.04.2025 तक आयोजित सीबीटी-1 परीक्षा के निष्पादन के आधार पर निम्न 22 (बाईस) अभ्यर्थियों को रेलवे भर्ती बोर्ड, सिकंदराबाद में निम्न उल्लिखित सूची के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित होने हेतु अनंतिम रूप से शॉर्ट लिस्ट किया गया है। (नोट - रोल नंबर मेरिट के क्रम में व्यवस्थित नहीं हैं)

दिनांक: 24.11.2025 रिपोर्टिंग समय: 09:00 बजे				
28424011120479380	28424011130662779	28424011170012278	28424011170365038	28424011180309668
केवल 05 (पाँच) अभ्यर्थी मात्र				
दिनांक: 25.11.2025 रिपोर्टिंग समय: 09:00 बजे				
28424011240202332	28424011280052621	28424012180447223	28424013280557263	28424014120543429
केवल 05 (पाँच) अभ्यर्थी मात्र				
दिनांक: 26.11.2025 रिपोर्टिंग समय: 09:00 बजे				
28424014170030129	28424014170270563	28424014240187480	28424014240685062	28424014280489010
28424014290038225	केवल 06 (छः) अभ्यर्थी मात्र			
दिनांक: 27.11.2025 रिपोर्टिंग समय: 09:00 बजे				
28424015140465003	28424015170112498	28424015170224162	28424015170238371	28424015280165190
28424114280434695	केवल 06 (छः) अभ्यर्थी मात्र			

- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सभी दस्तावेजों की स्पष्ट और सुपाठ्य स्कैन की गई छवियाँ, अपने पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ की स्कैन की गई प्रति (जैसा कि अपने ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया गया है) और हस्ताक्षर की स्कैन की गई छवि आरआरबी दस्तावेज सत्यापन पोर्टल <https://oirms-ir.gov.in/rribdv/> पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपलोड करें। यह पोर्टल आपके दस्तावेज सत्यापन तिथि से 10 दिन पहले से लेकर आपके दस्तावेज सत्यापन तिथि तक अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करने के लिए सक्रिय रहेगा।
- दस्तावेज सत्यापन (डीवी) उपरोक्त अनुसूची के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड, दक्षिण लालागुडा, इरिसेट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सिकंदराबाद - 500 017 (तेलंगाना) में आयोजित किया जाएगा।
- अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के समय निम्नानुसार सभी आवश्यक दस्तावेज लाने की सलाह दी जाती है -
 - ई-कॉल-लेटर में दिए गए निर्देशों के मद संख्या 2 में सूचीबद्ध मूल प्रमाण-पत्रों के साथ-साथ स्पष्ट एवं सुपाठ्य फोटोकॉपी के 02 (दो) सेट (ए4 आकार में)।
 - 03 वर्तमान पासपोर्ट आकार के फोटो।
 - 03 वर्तमान स्टैम्प साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
 - अम्मीदवारों को उसी रंगीन पासपोर्ट फोटो की एक प्रति भी लानी होगी, जो उन्होंने डीवी/एमई के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया था। (सीईएन 04/2024 के मद सं.14.0(घ)(i) का संदर्भ लें)
 - सीबीटी के ई-कॉल लेटर का ऊपरी भाग।

vi) आधार कार्ड की दोनों तरफ की फोटो काँपी।

vii) यदि बैंक या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भुगतान किया है तो उसकी रसीद।

viii) मेडिकल परीक्षण शुल्क 24 रुपये (नकद में) आरआरबी में भुगतान किया जाना है।

ix) अभ्यर्थी को उनके मेडिकल मेमो में प्रविष्टि के लिए, अपने चेहरे/शरीर पर कम से कम दो स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले पहचान चिहनों को पहले ही दर्शाना होगा।

4. दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी)के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में तथा अंग्रेजी या हिंदी में होने चाहिए। आगे, दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर अपने मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थियों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। डीवी/या चिकित्सा परीक्षा के दौरान अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

5. डीवी में शुरू में उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों को नामित रेलवे अस्पतालों में मेडिकल जांच (एमई) से गुजरना होगा। इसमें आरआरबी से रेलवे अस्पताल के शहर तक अतिरिक्त यात्रा और ठहरने की संभावना हो सकती है। तदनुसार, उम्मीदवारों को डीवी और मेडिकल जांच के लिए 3 से 4 दिनों से अधिक समय तक रुकने के लिए तैयार रहना होगा।

6. अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके आरआरबी/सिकंदराबाद की वेबसाइट से यात्रा प्राधिकरण (यथा लागू) के साथ अपने डीवी ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं:

<https://cdn.digialm.com//EForms/configuredHtml/33015/93368/login.html>

7. महत्वपूर्ण: अभ्यर्थियों को आरआरबी दस्तावेज़ सत्यापन पोर्टल <https://oirms-ir.gov.in/rrbdv/> पर अपने (i) पासपोर्ट आकार की फोटो, (ii) स्कैन की गई हस्ताक्षर और (iii) पहचान के दो निशान दिए गए निर्देशों के अनुसार अपलोड करना होगा। यह पोर्टल 14.11.2025 से डीवीब्लॉक तिथि डीवी/ की तारीख तक दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए सक्रिय रहेगा।

8. कृपया डीवी ई-कॉल लेटर में दिए गए विस्तृत निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के लिए सभी आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज़ **मूल रूप में और फोटोकॉपी के दो सेट** (ए4 आकार में) साथ लाएं।

9. अभ्यर्थियों को उनके ई-कॉल-लेटर और यात्रा पास (यथा लागू) डाउनलोड करने के लिए पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से सूचित किया जाएगा, जो दस्तावेज़ सत्यापन की निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पहले लाइव कर दिया जाएगा।

दस्तावेज़ सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए **ब्लॉक तिथि 08.12.2025)सोमवारक (ोबजे 09.30** है। इसके लिए अलग के कोई डीवी कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि या ब्लॉक तिथि पर डीवी के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और किसी भी परिस्थिति में उसे आगे कोई अवसर प्रदान नहीं दिया जाएगा। आरआरबी असफल अभ्यर्थियों के साथ कोई भी पत्राचार पर विचार करने में अक्षमता के लिए खेद व्यक्त करता है।

10. यद्यपि इस सूची को तैयार करने में हर प्रकार की सावधानी बरती गई है, तथापि आरआरबी को किसी भी प्रकार की अनजाने में हुई त्रुटि या टाइपोग्राफिकल/मुद्रण गलती को सुधारने का अधिकार है। आरआरबी इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार करने में अक्षमता के लिए खेद व्यक्त करता है।

11.नोट:

a) किसी अभ्यर्थी को केवल दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाना ही उसे रेलवे में नियुक्ति का हकदार नहीं बनाता। आरआरबी इस अधिसूचना में किसी भी अनजाने में हुई गलती को सुधारने, संशोधित करने या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

b) सभी अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी अनंतिम है और भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर या उसके बाद भी यदि वे रेलवे पैनल में शामिल हैं या शामिल हो चुके हैं, यदि उनके द्वारा दी गई जानकारी में कोई विसंगति, असंगति, कमी या किसी भी कदाचार (भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उनकी ओर से) का पता चलता है या परिणाम प्रक्रिया के दौरान / अधिसूचना के बाद भी यदि आरआरबी के द्वारा अनजाने

में हुई कोई त्रुटि या टाइपोग्राफिकल/मुद्रण गलती पाई जाती है तो ऐसे में उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

c) कृपया किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए केवल आरआरबी सिकंदराबाद की वेबसाइट www.rrbsecunderabad.gov.in देखें।

12. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यकता पड़ने पर डीवी और एमई(मेडिकल जाँच) के लिए अतिरिक्त दिनों तक रुकने के लिए तैयार रहें।

दिनांक: 03.11.2025

अध्यक्ष/रे.भ.बो./सिकंदराबाद

चेतावनी: नियुक्ति पाने के लिए अनुचित या अवैध साधनों का उपयोग करने वाले उम्मीदवारों को तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, और उन पर आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया जाएगा।